कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एक्मे ट्रेडर्स, सी-179, निराला नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**23 / 13, 21.05.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री विनय कुमार जयसवाल।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी-सर्वश्री एक्मे ट्रेडर्स, सी-179, निराला नगर, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए, फ्रूट बास्केट, नैपकिन होल्डर पर करदेयता पूछा गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी-श्री विनय कुमार जयसवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी द्वारा लोहे तारों से बनी हुई जाली के साथ प्लास्टिक का प्रयोग करके निर्मित फ्रूट बास्केट, नैपकिन होल्डर का आयात करके प्रान्त में बिक्री की जायेगी। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उक्त वस्तुओं का पम्पलेट प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उक्त वस्तुंए तार की जाली से बनी हैं और तार की जाली को कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री दीप इन्टर प्राइजेज, एफ-88, टी0 पी0 नगर, लखनऊ के धारा-59 के निर्णय दिनांक 12.12.2008 व सर्वश्री सनराईज इण्डस्ट्रीज, 229 प्रेम नगर, बरेली के धारा-59 के निर्णय दिनांक 23.01.2009 में हार्डवेयर के अन्तर्गत मानते हुए, उत्तर प्रदेश वैट अधियिम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 के अनुसार 4% की दर से करदेयता मानी है। उक्त वस्तुएं भी तार की जाली में प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए निर्मित की गयी हैं। अत: इन पर भी तदनुसार करदेयता होनी चाहिए।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-726, दिनांक 25.06.2013 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि प्रार्थी / व्यापारी द्वारा फ्रूट बास्केट, नैपकिन होल्डर का देश के बाहर से आयात किया जाता है। यह वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2 , 3 व 4 में वर्गीकृत नहीं हैं, इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 में दिनांक 29.09.2008 तक, हार्डवेयर शब्द सम्मिलित था। नोटिफिकेशन संख्या-2798, दिनांक 29.09.2008 के पश्चात दिनांक 30.09.2008 से हार्डवेयर शब्द को निकालते हुए निम्न प्रविष्टि रख दी गयी :-

Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers), and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; Plywood, flushdoor and blockboard, (Omitted);
Metallic jaali, barbed wire; and wooden spoon ; Cash box

.....2

उक्त प्रविष्टि में भी केवल Metallic jaali पर 4% की दर से करदेयता है। प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं का आयात प्रान्त बाहर से करके बिक्री की जायेगी, यह वस्तुएं Metallic jaali भी नहीं है, बल्कि प्लास्टिक के साथ निर्मित फ्रूट बास्केट व नैपकिन होल्डर है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पम्पलेट में छपी हुई फ्रूट बास्केट व नैपकिन होल्डर आदि का अवलोकन किया गया। सर्वश्री दीप इन्टर प्राइजेज, एफ-88, टी0 पी0 नगर, लखनऊ, प्रार्थना-पत्र संख्या-07 / 2008, धारा-59 निर्णय दिनांक 12.12.2008 एवं सर्वश्री सनराईज इण्डस्ट्रीज, 229 प्रेम नगर, बरेली के धारा-59 प्रार्थना-पत्र संख्या-406 / 2008, दिनांक 23.01.2009 में पारित निर्णय-'' लोहे की जाली '' को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 के अन्तर्गत हार्डवेयर मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

नोटिफिकेशन संख्या-2798, दिनांक 29.09.2008 से उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 में दिनांक 30.09.2008 से संशोधन करते हुए शब्द '' हार्डवेयर " को निकाल कर, निम्न प्रविष्टि रख दी गयी है :-

Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers), and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; Plywood, flushdoor and blockboard, (Omitted);

Metallic jaali barbed wire; and wooden spoon ; Cash box

इस प्रविष्टि के अनुसार Metallic jaali पर 4% की दर से करदेयता है। प्रार्थी द्वारा जिस वस्तु, फ्रूट बास्केट व नैपकिन होल्डर पर करदेयता पूछी जा रही है, यह Metallic jaali की भी श्रेणी में नहीं आते हैं।यह वस्तुएं प्लास्टिक के साथ निर्मित फ्रूट बास्केट व नैपकिन होल्डर हैं, जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं। अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 जुलाई, 2013 ह0 / 19.07.2013

(सेल्वा कुमारी जे0)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।